फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

–: आदेश :–

12-12-2013 आवेदक **श्री यशवंत कुमार**, पिता–स्व0 शिव लगन रविदास, सा0–पुरानी जक्कनपुर, रामलखन महतो, राम दलाल पथ, पो0–जी0पी0ओ0, थाना–जक्कनपुर, जिला–पटना से एक डी0बी0बी0एल0 गन की अनुज्ञप्ति के लिए प्राप्त आवेदन पत्र वाद संख्या–09–361/2013 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की तिथि–12.12.2013 निर्धारित की गई।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–12.12.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे छात्र हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस कारण नहीं बताया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–1213/गो0, दिनांक–25.08.2013 द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त अग्रसारित किया गया है, कोई अनुशंसा नहीं की गयी है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर पटना द्वारा थानाध्यक्ष, जक्कनपुर से प्राप्त अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र जाँचोपरान्त अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, जक्कनपुर द्वारा प्रतिवदित किया गया है कि आवेदक मेडिकल के छात्र हैं जो अपने घर पर रहकर तैयारी करते हैं। आवेदक के पिता के नाम पूर्व से एक डी0बी0एल0गन0 है, लेकिन आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित 'नहीं' किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–10 के सभी बिन्दुओं पर कुछ भी प्रतिवेदित नहीं करने के बावजूद आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे, और उप–धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा :

परन्तु जहाँ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहाँ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो वह विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा।"

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक डी0बी0बी0एल0 गन हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री श्री यशवंत कुमार, पिता–स्व0 शिव लगन रविदास, सा0–पुरानी जक्कनपुर, रामलखन महतो, राम दलाल पथ, पो0–जी0पी0ओ0, थाना–जक्कनपुर, जिला–पटना के आवेदित एक डी0बी0बी0 एल0 गन शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।